वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 216/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-17.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 17.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना बिलरियागंज: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.04.25 को वादी मुकदमा थाना विलरियागंज आजमगढ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिया कि वादी की लड़की उम्र -15 वर्ष को इण्टर कालेज मे कक्षा 10 मे पड़ती है दिनांक 15/4/025 को स्कूल पढ़ने गयी तथा स्कूल से ही गोलू पुत्र अज्ञात ननिहाल बरोही फतेहपुर थाना विलरियागंज निवासी अम्बाला का छुट्टी होने पर अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया हम लोग काफी खोजबीन काफी किया लेकिन कुछ पता नही चला। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 116/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2)/64/352 BNSS व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 17.06.2025 को उ0नि0 अक्षयदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकमदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू राजभर पुत्र गुड्डू राजभर निवासी अम्बाला थाना महेशनगर जनपद अम्बाला हरियाणा उम्र 19 वर्ष को बघैला ग्राउण्ड से समय 10.05 बजे नियमानुसार बघैला ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 116/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2)/64/352 BNSS व 3/4 पास्को एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. गोलू राजभर पुत्र गुड्डू राजभर निवासी अम्बाला थाना महेशनगर जनपद अम्बाला हरियाणा उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 अक्षयदीप सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

2- का0 स्वातेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आजमगढ़

3- का0 अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

02. थाना मुबारकपुर: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2025 को ग्राम फखरूद्दीनपुर थाना मुबारकपुर से नाबालिग पीड़िता को अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 254/2025 धारा137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 17.06.2025 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को सठियावं रेलवे स्टेशन के पास से समय करीब 08.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-नितिन कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 254/2025 धारा137(2)/87 बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सर्वेश चौरसिया, म0का0 दिव्या यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

03. थाना रौनापार: फरार/वांछित अभियुक्त के घर धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा।

दिनांक- 16.06.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, उ0नि0 विजेन्द्र मिश्रा उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 427/24 धारा 420/467/468/471 भादवि व 12(1)B पासपोर्ट अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र चंद्रपति नि0 ग्राम रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के घर पर मा0 न्यायालय द्वारा जारी 82 CrPC (84 BNSS) का आदेश की एक स्पष्ट प्रति अभि0 के घर के अग्र दृश्य भाग पर गवाहान 1. चन्द्रपति पुत्र स्व0 कोमल 2. आशुतोष पुत्र सुरेन्द्र यादव 3. विनोद यादव पुत्र राम वृक्ष यादव 4. दुर्गा प्रसाद शुक्ला पुत्र जयशंकर शुक्ला समस्त निवासीगण ग्राम व थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के समक्ष चस्पा कर तथा सार्वजनिक स्थान व ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा कर तामिल किया गया तथा मुनादी कराकर व्यापक प्रचार- प्रसार किया गया।